


20/7/21 मंगलवाली पैसा इत्रे । बमील ठमप पक्ष उपी धारणा

अस्वादिनिरीपाणा के संकेत मै लघु इस प्रकार
है कि आराजी चक्र 596 738 ९ रतका 6 बीया
06 बिस्वा भूमि ग्राम रुदाका रुहीन लालसेट
जिला बीसा मै स्थित है। जिसमे प्राचीनता का
विहसा मुतपीवन राजस्व रिपोर्ट जंभावदी
अनुसार दर्ज कथिज खतैहार का रतकार
है। उम्ह आराजी बाकत विवाद होने से
उम्ह आराजी को आगे बढ पर मै आराजी
बाकगस्त संबोधित निजा गया है। आराजी
बाकगस्त- प्राचीनता भी खतैहारी भूमि है
जिससे प्राचीनता का केरु सरोकार
चाहानही है। प्राचीनता अनुसुचित जाति
वर्ग के लक्ष्य है तथा प्राचीनता सामान्य
वर्ग श्रेणी के लक्ष्य है। जिबनी उम्ही राजनैतिक


उपखण्ड अधिकारी
मालसोट जिला बीसा (राज्य)

न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुकम

गामफूल 1/1 गामफूल

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जहाँ

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

पड़म तथा चनाकला के पड़म पर अस्थाई निषेधाज्ञा
आराजी बाप गहल को दखना चाहिए है,
जिसका अस्थाई निषेधाज्ञा को कोई एक अधिकार
प्राप्त नहीं है। आराजी बाप गहल से जो कुछ
सभी एके पेड़ों को काट करवाए करेगे
तथा अस्थाई निषेधाज्ञा को काट करेगे
जबकि कलजा कर निर्माण कार्य करेगे
इसी बात देखकर से अस्थाई निषेधाज्ञा को बाध
है। एक पैदा होकर यह बाध पर प्रतिक्रिया
लाजमी आया। अस्थाई निषेधाज्ञा अपने
नापाक शब्दों में कायम रखे जाते तो
अस्थाई निषेधाज्ञा अस्थायी अस्थाई निषेधाज्ञा
है इस आशय से पाठ्य कर कि अस्थाई
अस्थाई निषेधाज्ञा को उक्त 20 नं० की शर्त से
करके काट करेगा याथा उपर्युक्त
न करे न काटे न जबरन केवल
करे न काटे कोई निर्माण कार्य न करे
न काटे अपने परिलक्षणों को रोके रहें
ता० 10 मिनट का बाध उत्पन्न रहे।

तात्पर्यत प्रमाण दर्ज करि रहें
करवाया जायत तलकी अस्थाई निषेधाज्ञा को यदि
तलकी प्रमाण 20 मिनट की यदि अस्थाई निषेधाज्ञा
स० 10 मिनट अपने अधिकारता की अस्थाई निषेधाज्ञा
शर्तों के अस्थाई निषेधाज्ञा से उप० होकर जायक
प्रस्तुत किया प्रती अस्थाई निषेधाज्ञा को एक अस्थाई निषेधाज्ञा पर
इस आशय प्रार्थना कि अस्थाई निषेधाज्ञा 205-48

उपर्युक्त अधिकार
कलक्टर जिला दौसा (राज)

नाम धराल किया जाने जिसे शामिल मिलकर
का प्राथमिक पर मुना गण प्रार्थना प्रवर्धनीय
किया जाकर शामिल मिलकर विवाहवाह
पनामली अंशिम करस पर एवी गद्वि/वस
सुनीगई।

हमने वस उमपर डीकाग
पर गौट एमम गवतन किया पनामलीपर
पनामली पर उपलब्ध दस्तावेज पर पनामली
प्रस्तुत प्रकाश प्रार्थना पर अर्थार्थ विषे
का अपलोवन किया हुताकि अमिलेव
दस्तावेज पर प्रार्थना विवाह गल्ल अगली
के दिनांक 25 द्वावेपर कथकत है जिससे
प्रकटा प्रथम द्वावे पर प्रार्थना के पत्र
मे कम्पुवी सार्वत होग है। एवम सुपिक
लकुंमन सी तुला भी प्रार्थना के पत्र से
प्रमाणित है प्रार्थना को अर्थार्थ विषे पनाम से
पकक न किने जावे पर अप्रार्थनीय अति भी प्रार्थ
को होगी। अप्रार्थनीयों की अप्रार्थनीय अति
कथित होने की संभावना नही है।

अतः प्रार्थना का प्रस्तुत प्रार्थना
पर अर्थार्थ निषेधाज्ञा दिनांक 21-6-21 विनादि
आवजी खसरा नम्बर 536/388 वरके ग्राम
इन्दावा रूसील लखसोट गाँव जिला बाक
रुन्धरम विभाजन है। एवम साथही अप्रार्थनीयों
से अपदि निषेधाज्ञा से इस आशय से प्रकक
किया जाता है कि वे प्रार्थना के कथे सध
की भूमि में कोई फलपट बाधा उत्पन्न नके
नकथे भूमि से पककन कथे सल न करे न
कथे निर्माण कार्य न करे न करके अपने
परिचालनो सहित अपदि गौट पर प्रतिक्रिया

उपस्थित अधिकारी
नामधराल

न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

रामप्रसाद | रामप्रसाद

हुक्म या कार्यवाही मय इन्डिपेंडन्स जज

जायनापप कस्यार विषेपार

रहे। पञ्जाली वरद फसल गुमर होकर
लकड हो मय हो ललंगन मालवाकरे
निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)